अनुदेश सं. 03/2020-सीमा शुल्क

एफ.सं. 450/119/2017-CUS-IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

****

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल, 2020

सेवा में

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक)
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर
सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (निवारक)
सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर

महोदया/महोदय,

विषय: विशेष रिफंड और ड्राबैक डिस्पोजल ड्राइव - लंबित रिफंड और ड्राबैक दावों में तेजी लाने के निर्णय का कार्यान्वयन - संदर्भ।

जैसा कि आप जानते हैं, सीबीआईसी ने व्यापार और उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए COVID-19 महामारी के कारण होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में 24x7 सीमा शुल्क कार्य, सीबीआईसी वेबसाइट पर सिंगल विंडो हेल्पडेस्क, प्रवेश के बिल दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क की छूट, अस्थायी रूप से बांड जमा करने के साथ छूट देना, जहां भी आवश्यक हो, आदि शामिल है । इन व्यापार सुविधा उपायों को जारी रखते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि इन कठिन समय में व्यावसायिक संस्थाओं, विशेष रूप से एमएसएमई को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए सभी लंबित सीमा शुल्क वापसी और वापसी दावों को तेजी से संसाधित किया जाएगा। इस निर्णय की घोषणा राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस नोट दिनांक 08 अप्रैल 2020 के माध्यम से की गई है।

2. "एतद्द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि सभी लंबित धनवापसी और वापसी दावों के प्राथमिकता प्रसंस्करण और निपटान के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से एक ""विशेष वापसी और ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव"" होगा।" यह विशेष अभियान 30.04.2020 तक लागू रहेगा। यह उम्मीद की जाती है कि इस अवधि के दौरान 07.04.2020 तक लंबित सभी रिफंड और ड्राबैक दावों का निपटान किया जाएगा।

3 प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त दैनिक आधार पर इस मोर्चे पर प्रदर्शन का बारीकी से निगरानी करेंगे और जहां भी आवश्यक हो, निपटान को अधिकतम करने के लिए संबंधित अधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। जैसा कि ऊपर कहा गया है, रिफंड और ड्राबैक पर ध्यान देने का उद्देश्य व्यावसायिक संस्थाओं, विशेष रूप से एमएसएमई को तत्काल राहत प्रदान करना है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बनाता है कि कोई देरी न हो।

4 इस संबंध में, कृपया निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाए:

क. हालांकि करदाताओं को तत्काल राहत प्रदान करने की दृष्टि से लंबित रिफंड दावों को संसाधित करने का निर्णय लिया गया है, रिफंड और ड्रॉबैक देने से पहले उचित परिश्रम किया जाना है। इन दावों को संसाधित करते समय सभी प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

ख. निर्यातकों की सुविधा के लिए, जहां भी आवेदक की ईमेल आईडी उपलब्ध है, सभी संचार ईमेल पर किया जाना चाहिए।

ग सभी कमी ज्ञापनों की समीक्षा की जा सकती है और रिफंड / ड्रॉबैक पर योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

5. यह आग्रह किया जाता है कि इन कठिन समय में सभी संबंधित अधिकारी 30.04.2020 तक लंबित धनवापसी और वापसी दावों को समाप्त करने और विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयास करें।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(विमल कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (सीमा शुल्क)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली 08/04/2020

प्रेस नोट

कोविड-19 की स्थिति के संदर्भ में तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं वैयक्तिकों को तत्काल आराम देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सभी रूपए पांच लाख तक के इंकम टैक्स रिफंड तत्काल जारी कर दिए जाए यह लगभग 14 लाख करदाताओं को लाभ पहुंचाएगा यह भी निर्णय लिया गया है कि लगभग 1 लाख व्यापरिक प्रतिष्ठानों को सभी लंबित जीएसटी एवं सीमा शुल्क

रिफंड जारी किए जाए जिसमें की एमएसएमई भी शामिल हो। अत कुल प्रदान किया रिफंड रूपए 18 हजार करोड़ के लगभग होगा।